सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा:.सं . NCST/SER-521/DL/22/2022-SSW -RU-IV

दिनांक :22/09/2025

सेवा मे,

The Chief Executive Officer
Delhi Jal Board
Varunalaya Phase-II
Jhandewalan, Karol Bagh
नई दिल्ली -110003
ई मेल :ceodelhi.djb@nic.in

विषय: दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को पदोन्नति न देने के संबंध में प्रसादश्री नागेन्द्र-, फीटर-II, Delhi Jal Board का दिनांक 19.04.2022 का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 28.08.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई की रिपोर्ट/ 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

यो. प्र. यादव

योगेंद्र प्र. यादव / Yogendra P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री नागेन्द्र प्रसाद,
RZ 24, 25/289A गली नं .5/A,
West Sagarpur,
New Delhi-110046
(Mob No. 7011117995)

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/SER-521/DL/22/2022-SSW

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को पदोन्नति न देने के संबंध में -श्री नागेन्द्र प्रसाद, फीटर-II, Delhi Jal Board के अभ्यावेदन के संबंध में दिनांक 28.08.2025 को दोपहर 02:40 PM बजे आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में हुई सिटिंग का कार्यवृत।

सिटिंग की तिथि एवं समय : 28.08.2025 दोपहर 02:40 बजे
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

श्री नागेन्द्र प्रसाद, फीटर-II, दिल्ली जल बोर्ड ने दिनांक 19.04.2022 को प्रस्तुत अपने अभ्यावेदन में अवगत कराया है कि वह वर्ष 1997 से फीटर-II के पद पर कार्यरत हैं, परंतु विभाग द्वारा अब तक उन्हें पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2006 में एक अन्य कर्मचारी को पदोन्नति दी गई, जबकि उसका अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण था। यद्यपि उस कर्मचारी के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई की गई, तथापि उसे पदावनत नहीं किया गया। श्री प्रसाद का कहना है कि यह व्यवहार एक वास्तविक अनुसूचित जनजाति कर्मचारी के साथ अन्यायपूर्ण है। अतः उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हें यथाशीघ्र पदोन्नति प्रदान की जाए।

2 आयोग ने नोटिस दिनांक 16.08.2022 जारी कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड से तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु अनुरोध किया था। उक्त नोटिस के संबंध में एक पत्र No. DJB/AC (G)-1/Fitter 2nd Class test/2022/D-1022 दिनांकित 23.09.2022 आयोग को दिल्ली जल बोर्ड की ओर से प्राप्त हुआ । दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त पत्र को अभ्यावेदक को अग्रेसित किया गया। प्राप्त पत्र के संबंध में अभ्यावेदक ने पत्र दिनांक 12.10.2022 द्वारा असहमति व्यक्त की ।

3 दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पत्र संख्या DJB/DD(G)-I/Reply/2023/133 दिनांक 16.02.2023, पत्र संख्या DJB/DP(G)-I/Reply/2023/566 दिनांक 10.07.2023 तथा पत्र संख्या DJB/DD(G)-I/Reply/2024/D-253 के माध्यम से आयोग को उत्तर प्रेषित किया गया। उक्त उत्तरों की प्रतियाँ अभ्यावेदक को अग्रेषित कर दी गई थीं। इन उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदक ने समय-समय पर पत्रों के माध्यम से अपनी असहमति व्यक्त की है। अभ्यावेदक द्वारा लगातार पत्राचार कर उत्तरों पर असंतोष जताया गया है।

4 मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग द्वारा दिनांक 28.08.2025 को सुनवाई निर्धारित की गयी। तदनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड को सिटिंग नोटिस जारी किया गया । अभ्यावेदक को भी इसकी सूचना दी गयी।

5 सुनवाई के दिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड उपस्थित नहीं हो सके। उनकी अनुपस्थिति में उनके स्थान पर सदस्य (प्रशासन) दिल्ली जल बोर्ड को उपस्थित रहने हेतु नामित किया गया। इस प्रक्रिया में उनकी सहायता हेतु डिप्टी डायरेक्टर भी उपस्थित रहे। श्री नागेन्द्र प्रसाद, शिकायतकर्ता, भी उपस्थित थे।

आशा लकड़ा

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free: 1800117777

6. सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार फिटर प्रथम श्रेणी पद हेतु विभागीय पदोन्नति को अनुमोदित कर दिया गया है तथा नियमित पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी फिटर द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के IC/VC, ACR आदि अभिलेख एकत्रित किए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता श्री नागेन्द्र प्रसाद, जो कि फिटर द्वितीय श्रेणी के पद पर कार्यरत हैं, उनका नाम भी इस प्रक्रिया के अंतर्गत विचाराधीन सूची में सम्मिलित है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुसंशाएँ की जाती हैं :

(i)सुनवाई के दौरान विभाग द्वारा व्यक्त विचारों के आलोक में, यह अनुशंसा की जाती है कि श्री नागेंद्र प्रसाद की पदोन्नति से संबंधित प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जाए एवं प्रतिवेदन 30 दिवस के भीतर आयोग को उपलब्ध किया जाए।

आशा लकड़ा
12/09/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

फा. सं.: NCST/SER-521/DL/22/2022-SSW -RU-IV

ATTENDANCE SHEET

Sub: Sitting to be held on 28.08.2025 at 2:40 P.M. in the case of दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को पदोन्नति न देने के संबंध में -श्री नागेन्द्र प्रसाद, फीटर-II, Delhi Jal Board का दिनांक 19.04.2022 का अभ्यावेदन।

Sr. No.	Department	Contact details	Signature
I	National Commission for Scheduled Tribes		
1.	Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member		In Chair
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav, Deputy Secretary		
3.	Shri Riya, Investigator		
4.	Shri Rahul Yadav, Consultant (Legal)		
II	Chief Executive Office ,Delhi Jal Board,		
1.	B. S. JAGLAN Member (F)	8130500999	BS
2.	Pardeep Kumar Deputy Director	9999151835	[signature]
3.	D.R. MEENA. Dy. DIR	9650285959	[signature]
4.			
5.			
IV	शिकायतकर्ता		
1.	Nagendra prasad post Fitter II	7011117995	[signature]
2.			